

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : रतन कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 075/2021 (रा.अ.)  
पंजीयन दिनांक 16.08.2021  
G.C.M.S. NO. :- 2021/75

मिट्टू पिता नुरा मंसुरी, पेशा काश्त, उम्र 85 वर्ष, निवासी गुलाबपुरा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

-रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर मिसल क्रमांक 25/2021 निर्णय दिनांक 15.04.2021

उपस्थिति:- 1- श्री सुरेश कुमार बापना, अधिवक्ता अपीलांत  
2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 06.10.2021

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का कानाखेड़ा ने मौजा गुलाबपुरा की आराजी नम्बर 507 रकबा 0.02 है. किस्म चारागाह पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा कर बाड़ा बनाने की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा गुलाबपुरा की आराजी नम्बर 507 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अपीलार्थी का

-2-

प्र. सं. 075/2021 (रा. अ.)
मिट्टू मंसुरी निवासी गुलाबपुरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 15.04.2021 को दो माह के सिविल कारावास एवं पेनल्टी लगान 1/-रु. का 50 गुणा यानि 50/-रुपये शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।



अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के पटवार हल्का कानाखेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर मौजा गुलाबपुरा की चारागाह आराजी नम्बर 507 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए अपीलार्थी को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 15.04.2021 को दो माह के सिविल कारावास, लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखली के आदेश पारित किये जो निरस्त योग्य है। उक्त आराजीयात पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है उसी आधार पर अपीलार्थी ने उक्त आराजीयात पर कब्जा कर काबिज है उक्त निर्णय दिनांक 15.04.2021 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 01.08.2021 को पुलिस के वारंट लेकर अपीलार्थी के घर आने के बाद से हुई। दिनांक 05.08.2021 को ही नकल प्राप्त हुई एवं जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी अपील में हुए विलम्ब को विस्तारित करने हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अपीलार्थी काश्तकार एवं अनपढ़ होकर कानून की जानकारी नहीं है एवं अपीलार्थी जईफ उम्र का है साथ ही अपीलार्थी ने मौके से कब्जा भी हटा लिया है तथा भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा ताईद में शपथ-पत्र पेश है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुए सजा माफ कराने का आदेश प्रदान करावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है

-3-

प्र. सं. 075/2021 (रा. अ.)
मिठू मंसुरी निवासी गुलाबपुरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति आरोपित करने एवं दो माह का सिविल कारावास दिये जाने का पारित आदेश विधि सम्मत है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तदनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद मानी जाती है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में ग्राम गुलाबपुरा की प्रश्नगत आराजी नम्बर 507 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के आधार पर स्वयं का कब्जा होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थी के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आराजीयात आराजी नम्बर 507 रकबा 0.02 हैक्टेयर ग्राम गुलाबपुरा की किस्म चारागाह भूमि



होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है, तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर किया गया अतिक्रमण नियमन योग्य नहीं होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो माह के सिविल कारावास, बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है फिर भी अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि से कब्जा छोड़ दिये जाने एवं भविष्य में कभी कब्जा नहीं किये जाने संबंधी प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर तथा अपीलार्थी की जईफ उम्र को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए दो माह के सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित (Quashed) करते हुए शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(रतन कुमार)

